



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 34RAJ26002

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : राज/उदय/सीसाजस्ता-01/खंड-VII
प्रेषित : खान एजेण्ट
मोघिया लेड-जिक खदान
मैसर्स हिन्दुस्तान जिक लि.
पोस्ट-जावर, जिला-उदयपुर-313901(राजस्थान)
ईमेल-kishore.s@vedanta.co.in

दिनांक : 23.03.2021

विषय : राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी मोघिया लेड-जिक खदान क्षेत्रफल 3620.00 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.03.2021 को श्री मोहम्मद जावेद आलम खान प्रबंधक एवं डॉ. एस. बी. शुक्ला, हेड जियोलोजी के उपस्थिति में किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा						
11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 24.11.2016) for the year 2019-20: - (i) <table border="1"><thead><tr><th>Year</th><th>Proposed UG Development(m)</th><th>Actual UG Development(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019-20</td><td>13000</td><td>9524.7</td></tr></tbody></table> <p>It shows that shortfall in UG development.</p> <p>(ii) Mineral stacking was observed near Decline Portal which was not proposed.</p>	Year	Proposed UG Development(m)	Actual UG Development(m)	2019-20	13000	9524.7
Year	Proposed UG Development(m)	Actual UG Development(m)					
2019-20	13000	9524.7					
Rule 31(4)	Plans & sections required to be kept under rule 32 have not been maintained up to date within three months.						

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी. आर. मुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल-क))
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो